S.S
17.1.72

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 592] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1971/अग्रहायण 10, 1893

No. 592] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1971/AGRAHAYANA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Calcutta, the 1st December 1971

S.O. 5262.—In exercise of the powers conferred by clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, the Jute Commissioner hereby fixes No. 207.77 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 43½"×26½" Hd.W.I.P. 44"×26½" Hd. 2¼ lbs. per bag, 6×8, 3-Blue, Dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS: 2566-1965 as amended uptodate), shall be purchased or sold during the month of December, 1971:

Provided that the price is liable to be revised and finally fixed at such rate as the Tariff Commission recommends and the price so fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deliveries made in the month:

Provided that the price so fixed shall be reduced to the extent as specified in column (2) and/or column (3) of the Table below, in respect of the minimum breaking strength as specified in the corresponding entry in column (1) of the said table.

TABLE

Minimum breaking strength	Reduction in the price per 100 bags	
	Waro way	Weft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking Strength	130 Kg. Rs.	165 Kg. Rs
160	—	0·55
155	0·39	1·02
150	1·06	1·50
145	1·62	2·11
140	2·24	3·42
135	2·86	4·27
130	3·42	—

2. The price fixed under the notification is exclusive of excise duty and sales-tax.

[No. Jute (Econ)-71/71.]
S. P. MUKERJEE,
Jute Commissioner.

विदेश व्यापार मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 1 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5262.—पटसन (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटसन आयुक्त एतद्द्वारा कारखाने से चलते समय की अधिकतम कीमत 207.77 रुपये प्रति 100 बोरी निर्धारित करते हैं जिस कीमत पर दिसम्बर, 1971 के मास में 43.1/2" × 26'.1/2" एच० डी० के आकार की बी० ट्विल्स (पटसन वस्त्र की एक किस्म है।) जिसका वजन 44" × 26.1/2" एच० डी० 2.1/4 पौंड प्रति बोरी, 6 × 8, 3-नीला, सूखी अवस्था में सिली हुई, के आपात में ओर जो अन्य सब प्रकार से भारतीय मानक संख्या की वर्तमान विशिष्टियां (सं० आई० एस० 2566-1965 यथा अद्यतन संशोधित) के अनुरूप हो, की खरीद या बिक्री की जायेगी :

परन्तु कीमत संशोधित की जा सकती है और अन्त में ऐसी दर पर निर्धारित की जाएगी जिसकी टरिफ आयुक्त सिफारिश करे तथा इस प्रकार निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर संभरक को दिसम्बर, 1971 में सुपुर्दगियों के लिए भुगतान प्राप्त करने का हक है।

परन्तु इस प्रकार निर्धारित की गई कीमत, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट न्यूनतम भंजन बल के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (2) और/अथवा स्तंभ (3) में उस प्रविष्टि के समक्ष विनिर्दिष्ट सीमा तक कम कर दी जाएगी।

सारणी

न्यूनतम भंजन बल		प्रति 100 बोरियों की कीमत में कटौती	
		ताना	बाना
	(1)	(2)	(3)
भारतीय मानक संख्या	मानक भंजन बल	160 किलो ग्राम रुपये	165 किला ग्राम रुपये
160		—	0.55
155		0.39	1.02
150		1.06	1.50
145		1.62	2.11
140		2.24	3.42
135		2.86	4.27
130		3.42	—

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित कीमत में उत्पादन शुल्क तथा बिक्री-कर शामिल नहीं है।

[सं० जूट (इकोनो०)-71/71]

एस० सी० मुकर्जी, पटसन आयुक्त ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971